

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक : मुसप्र/2022/192


दिनांक : 19.5.22

कार्यालय आदेश

मण्डल द्वारा पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 248 दिनांक 07.07.2020 के द्वारा मण्डल कर्मचारियों/पत्रकारों/माननीय विधायकों/सांसदों को विभिन्न शहरों में पूर्व के वर्षों में प्लिंथ लेवल/स्केल्टन आवासों का आवंटन किया गया था। जिनके आवंटन पत्रों में निर्माण संबंधी सीमा की कोई शर्त नहीं लगाये जाने के कारण अधिकांश कर्मचारियों, पत्रकारों, माननीय विधायकगण व सांसदगण द्वारा आदिनांक तक निर्माण कार्य नहीं कराने पर एक बारीय दो वर्ष की राहत प्रदान की गई थी।


मण्डल कर्मचारियों/पत्रकारों/माननीय विधायकों/सांसदों को जोधपुर में आवंटित लगभग 625 आवास प्लिंथ/स्केल्टन आवासों का आवंटन किया गया है। कोरोना काल के मद्देनजर आवास निर्माण की समय सीमा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 248 दिनांक 07.07.2020 की निरन्तरता के क्रम में 2 वर्ष दिनांक 07.07.2022 की अवधि को दिनांक 07.07.2022 के पश्चात् 2 वर्ष की सीमा तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(डॉ. प्रीति सिंह पंवार)
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपी सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-माननीय अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता(मु.)/प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, रा0आ0मं0, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर/जोधपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक/निदेशक(विधि), रा0आ0मं0, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, रा0आ0मं0, जयपुर।
7. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0मं0, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट), रा0आ0मं0, जयपुर।
9. उप आवासन आयुक्त, रा0आ0मं0, वृत्त ----- (समस्त)।
10. आवासीय अभियन्ता, रा0आ0मं0, खण्ड ----- (समस्त खण्ड)।
11. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक